AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. TCP-A(3)4/2011 DATED 21-1-2014 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Government of Himachal Pradesh
Department of Town & Country Planning

TCP-A(3)-4/2011 Dated Shimla-2 21-1-2014

NOTIFICATION

In supersession of this Department's Notification of even number dated 12-01-2012, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011 read with Rule-4 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Rules, 2011, is pleased to notify various services, designated officers and time limits etc. in respect of the Town & Country Planning Department as per the details given below:-

Sr. No.	Name of Service/Public Service	Designated Officer	Format of the application to obtain service	List of documents required to service	Person who can request for service	Time limit for service	First Appellate Authority	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Certificate that land is not in Planning / Special Area	1.Deputy Commissioner, Kangra, Chamba, Kullu vested with power of the Director (TCP). 2. Chairman SADA vested with power of the Director (TCP). 3. Chief Executive Officer BBNDA vested with power of the Director (TCP). 4. Commissioner, Municipal corporation being Chairman of Single Umbrella Committee. 5. Town and Country Planner/ Assistant Town Planner/ Planning Officer of the District. 6. Executive Officers of the Municipal Committee vested	On the plain paper indicating details of land.	Revenue paper of the land	Any person	3 working days	Director (TCP)	No fee

		with power of the Director (TCP)						
2(i)	Change of land use	Same as Above	Form-X as prescribed under Rule 12 of the HPTCP Rules, 1978	As prescribed in Form-X under Rule 12 of the HPTCP Rules, 1978	Owner of the land	60 days	Secretary (TCP)	Fee as prescribed under Rule 12 of the HPTCP Rules, 1978
(ii)	Site Inspection	Same as Above	-	-	Owner of the land	7 days from the receipt of the application	Director (TCP)	No Fee
(iii)	Intimation of Observation	Same as Above	-	-	Owner of the land	15 days from the receipt of the application	Director (TCP)	No Fee
3(i)	Development permission	Same as Above	Form-XI as prescribed under HPTCP Rules, 1978	-	Owner of the land	60 days	Secretary (TCP)	Fee as prescribed under Rule 12 of the HPTCP Rules, 1978
(ii)	Site Inspection	Same as Above	-	-	Owner of the land	7 days from the receipt of the application	Director (TCP)	No Fee
(iii)	Intimation of Observation	Same as Above	-	-	Owner of the land	15 days from the receipt of the application	Director (TCP)	No Fee
4(i)	NOC for release of basic service	Same as Above	On plain paper	Permission no. and date vide which development was granted.	Person to whom permission was granted	30 days	Director (TCP)	No. Fee
(ii)	Site Inspection	Same as Above	On plain paper	-	Owner of the land	7 days from the receipt of the application	Director (TCP)	No Fee
(iii)	Intimation of Observation	Same as Above	On prescribed format	-	Owner of the land	15 days from the receipt of the application	Director (TCP)	No Fee
5	Complaint regarding detection of unauthorized construction deviation from	Same as Above	On plain paper	Location of unauthorized construction on and name of the person	Any person	30 days	Director (TCP)	No Fee

	approved plan & action thereof.							
6	Supplying copy of record	Same as Above	On plain paper (As per Rule 15-A of HPTCP Rules, 1978)	Detail of the record required	Any person	7 days	Director (TCP)	Fee as prescribed under Rule 15 A (2) of the HPTCP Rules, 1978
7	Composition of offences	Same as Above	Form XVII-D(As per Rule 19-E of HPTCP Rules, 1978)	As prescribed under Form XVII-D (As per Rule 19-E of HPTCP Rules, 1978)	Applicant who has carried out deviations from the approved map.	60 days	Secretary (TCP)	Fee as prescribed under Rule 19- E of the HPTCP Rules, 1978.

Note:

- The time limit shall apply if case received is in order.
- In case there are short comings in the case, the time limit shall vary accordingly.

The request for service on the application form prescribed alongwith specified documents can be made to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive such applications. An acknowledgement will be issued as per Form-I prescribed in Himachal Pradesh Public Service Guarantee Rules, 2011. All designated officers are required to issue order for authorized person and display the same in the Notice Board as per section 5 of the Act.

An Appeal under Section 6 can be filed before the first appellate authority within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limits.

An Appeal against the order of the First Appellate Authority can be filed before the State Information Commission, Himachal Pradesh, who is the second Appellate Authority.

By Order

Secretary (TCP) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

Endst.No.TCP-A(3)-4/2011 Dated: Shimla 21-1-2014

Copy is forwarded to the following for information:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. The Additional Chief Secretary (AR) to the Govt. of H.P.
3. All Deputy Commissioner in Himachal Pradesh.
4. The Chairman, Special Area Development Authorities, Shogi, Kufri, Ghanahti, Hatkoti, Sarahan, Kandaghat, Barog, Chail, Jabli, Harat, Paonta-Sahib, Trilokpur, Una, Chintpurni, Baba-Balaknath, Ner-Chowk, Solang, Rohtang, Manikaran, Naggar, Pongdam, Chamunda,

Garli-Pragpur, Bir-Billing, Khajjiar, Bharmour, Pangi(Killar), Chamera, Reckong-Peo, Kaza, Kaylong, Tabo and Udaipur.

5. CEO, BBNDA, Jharmajri, Baddi, H.P.
6. Director, Town & Country Planning Department, HP, Shimla-9.
7. Director, Urban Development Department, Palika Bhawan, H.P. Shimla-2.
8. ALR-cum-Under Secretary(Law Opinion) to the Govt. of H.P. Shimla-2
9. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla-171001.
10. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Shimla, Dharmshala, Hamirpur, Kullu, Mandi, Nahan and Solan.
11. The Assistant Town Planner/Planning Officers, Sub-Divisional Town Planning Office, Bilaspur, Chamba, Parwanoo, Rampur and Una.
12. The Executive Officer, Municipal Council, Rampur, Solan, Parwanoo, Nalagarh, Nahan, Paonta Sahib, Hamirpur, Chamba, Una, Mandi and Bilaspur.
13. Guard File.

(Parvati Verma)
Deputy Secretary(TCP)to the
Govt. of Himachal Pradesh
Ph. 0177-2628929

(228)

हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्याः टी0सी0पी0–ए(3)–4/2011 तारीख शिमला–2 21–1–2014

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 12.01.2012 का अधिक्रमण करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी नियम, 2011 के नियम 4 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर एवं ग्राम योजना विभाग की बाबत विभिन्न सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों और समय सीमाओं इत्यादि को, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अधिसूचित करती है:–

क्रम संख्या	सेवा / लोक सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्ररूप	सेवा हेतु अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	व्यक्ति जो सेवा हेतु अनुरोध कर सकता है	सेवा हेतु समय सीमा	प्रथम अपील प्राधिकारी	टिप्पणियॉ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	प्रमाण पत्र कि भूमि योजना/ विशेष क्षेत्र में नहीं है।	1.उपायुक्त, कांगडा, चम्बा और कुल्लू जिन्हे निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना की शक्ति प्रदत्त की गई है। 2.अध्यक्ष, साडा, जिन्हें निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना की शक्ति प्रदत्त की गई है। 3.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	सादे कागज पर भूमि के ब्यौरे उपदर्शित करते हुए।	भूमि के राजस्व दस्तावेज	कोई भी व्यक्ति	तीन कार्य दिवस	निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना)	कोई फीस नहीं।

		बीबीएनडीए जिन्हें निदेशक नगर एवं ग्राम योजना की शक्ति प्रदत्त की गई है। 4.आयुक्त, नगर निगम, (सिंगल अम्ब्रेला) समिति का अध्यक्ष होते हुए। 5.नगर एवं ग्राम योजनाकार / सहायक नगर योजनाकार / जिला का योजना अधिकारी। 6.नगर पालिका समितियों के कार्यकारी अधिकारी जिनको निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना) की शक्ति प्रदत्त की गई है।						
2.(i)	भू–उपयोग का परिवर्तन।	–यथोपरि–	हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के रूल 12 के अर्धान	हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के रूल 12 के अधीन फार्म–	भूमि का स्वामी	साठ दिन	सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)	हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के रूल 12 के अधीन

			यथाविहित फार्म– X ।	X में यथाविहित ।				यथाविहित फीस।
(ii)	स्थल निरीक्षण	–यथोपरि–	–	–	भूमि का स्वामी	आवेदन की प्राप्ति से सात दिन	निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना)	कोई फीस नहीं।
(iii)	संप्रेक्षण की सूचना	–यथोपरि–	–	–	भूमि का स्वामी	आवेदन की प्राप्ति से पंद्रह दिन	निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना)	कोई फीस नहीं।
3(i)	विकास अनुज्ञा	–यथोपरि–	हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के रूल 11 के अधीन यथाविहित फार्म–XI ।	–	भूमि का स्वामी	साठ दिन	सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)	हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के नियम 12 के अधीन यथाविहित फीस।
(ii)	स्थल निरीक्षण	–यथोपरि–	–	–	भूमि का स्वामी	आवेदन की प्राप्ति से सात दिन	निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना)	कोई फीस नहीं।
(iii)	संप्रेक्षण की सूचना	–यथोपरि–	–	–	भूमि का स्वामी	आवेदन की प्राप्ति से पंद्रह दिन	निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना)	कोई फीस नहीं।
4(i)	आधारभूत सेवाओं की निर्मुक्ति	–यथोपरि–	सादे कागज पर	अनुज्ञा संख्या और तारीख जिसके द्वारा	व्यक्ति जिसको अनुज्ञा	तीस दिन	निदेशक, (नगर एवं ग्राम	कोई फीस नहीं।

	हेतु (एनओसी) अनापत्ति प्रमाण पत्र			विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी।	प्रदान की गई थी।		योजना)	
(ii)	स्थल निरीक्षण	–यथोपरि–	सादे कागज पर	–	भूमि का स्वामी	आवेदन की प्राप्ति से सात दिन	निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना)	कोई फीस नहीं।
(iii)	संप्रेक्षण की सूचना	–यथोपरि–	विहित प्रपत्र पर	–	भूमि का स्वामी	आवेदन की प्राप्ति से पंद्रह दिन	निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना)	कोई फीस नहीं।
5.	अनधिकृत निर्माण/ अनुमोदित योजना से विचलन का पता चलने की बावत शिकायत और उस पर कार्रवाई।	–यथोपरि–	सादे कागज पर।	अनधिकृत निर्माण की अवस्थिति और व्यक्ति का नाम।	कोई भी व्यक्ति	तीस दिन	निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना)	कोई फीस नहीं।
6.	अभिलेख की प्रति प्रदत्त करने के लिए।	–यथोपरि–	सादे कागज पर। (हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के रूल 15–ए के अनुसार)	अपेक्षित अभिलेख के ब्यौरे।	कोई भी व्यक्ति	सात दिन	निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना)	(हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग) रूल्ज, 1978 के रूल 15–ए(2) के अधीन यथाविहित

								फीस।
7.	अपराधों का शमन	–यथोपरि–	फार्म–XVII- डी (हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के रूल 19–ई के अनुसार)	फार्म XVII-डी के अधीन यथाविहित (हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के रूल 19–ई के अनुसार)।	आवेदक जिसने अनुमोदित नक्शे से विचलन किया है।	साठ दिन	सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)	हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 1978 के रूल 19–ई के अधीन यथाविहित फीस।

टिप्पण:

* समय सीमा तभी लागू होगी, यदि प्राप्त मामला नियमानुसार है।

** यदि मामले में कमियां है तो समय–सीमा में तदनुसार फेरफार होगा।

सेवा के लिए आवेदन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित, विहित आवेदन प्ररूप पदाभिहित अधिकारी को या ऐसे आवेदनों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी व्यक्ति को किया जा सकता है। अभिस्वीकृति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी नियम, 2011 में विहित प्ररूप–1 के अनुसार जारी की जाएगी। समस्त पदाभिहित अधिकारियों को प्राधिकृत व्यक्ति को आदेश जारी करना और उसे अधिनियम की धारा 5 के अनुसार सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित करना अपेक्षित है।

धारा–6 के अधीन कोई अपील आवेदन की अस्वीकृति की तारीख से तीस दिन के भीतर या नियत समय–सीमा के अवसान से प्रथम, अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी।

प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश के विरूद्व कोई अपील राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश, जो द्वितीय अपील प्राधिकारी है, के समक्ष दायर की जा सकेगी।

आदेश द्वारा

सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः टी.सी.पी.–ए(3)–4/2011 तारीख शिमला–2, 21–1–2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, (प्रशा0 सुधार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

233

3. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

4 अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शोघी, घणाहटटी, हाटकोटी, सराहन, कण्डाघाट, बडोग, चायल, जाबली, हरड, पौंटा–साहिब, त्रिलोकपुर, ऊना, चिन्तपूर्णी, बाबा–बालकनाथ, नेर–चौक, सोलंग, रोहतांग, मनीकरण, नग्गर, पौंगडैम, चामूंडा, गरली–परागपुर, बीर–बिलिंग, खजियार, भरमौर, पांगी(किलाड), चमेरा, रिकांगपिओ, काजा, केलांग, ताबो और उदयपुर, हि0प्र0।

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बद्दी बरोटीवाला नालागढ विकास प्राधिकरण, झारमाजरी, बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

6. निदेशक नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9।

7. निदेशक शहरी विकास विभाग, पालिका भवन, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002।

8. आयुक्त, नगर निगम, शिमला–171001।

9. सहायक विधि परामर्शी एवम अवर सचिव(विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002।

10. नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन और शिमला।

11. सहायक नगर योजनाकार, उप–मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, बिलासपुर, चम्बा, परवाणु, रामपुर और ऊना।

12. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्, रामपुर, सोलन, परवाणु, नालागढ, नाहन, पौंटा सहिब, हमीरपुर, चम्बा, ऊना, मण्डी और बिलासपुर।

13. संरक्षण नस्ति।

(पार्वती वर्मा)
उप सचिव (न0ग्रा0यो0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
दूरभाष 0177–2628929